(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यंप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2648–तीन/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–09–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 27/2001–02/विविध

.....

मनाजीराव आत्मज सरदार शिवाजीराव आंग्रे
निवासी लक्ष्मी निवास मंगलनाथ रोड, उज्जैन

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य शासन

.....प्रत्यर्थी

.....

श्री एस0जी0 नायक, अभिभाषक, अपीलार्थी

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक २। अगस्त 2015 को पारित )

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 44(जी) के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी घटिया के समक्ष अपील कमांक 66/अ–2/84–85 एवं 234/अ–59/1978–79 लंबित हैं। अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण अन्य किसी अन्तरित किये जाने हेतु प्रकरण अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया था। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24–9–02 को आदेश पारित हुये अपीलार्थी का आवेदन

निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क दिया कि अब अनुविभागीय अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है अतः अब उन्हें प्रकरण किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को भेज दिया जाये।

3/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी घटिया के न्यायालय में लंबित अपील प्रकरणों को अंतरित किये जाने प्रकरण वर्ष 2002 में दर्ज किया था। आवेदक के तर्क अनुसार अब उपरोक्त अनुविभागीय अधिकारी घटिया का स्थानांतरण हो गया है और प्रकरण किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी घटिया को भेजने के निर्देश के साथ अपील समाप्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर